मध्यस्थता हेतु क्या करें ?

- मध्यस्थता हेतु आवेदन स्वयं दिया जा सकता है अथवा
- मामला न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

मध्यस्थता केन्द्रों की स्थापना

- हाईकोर्ट स्तर पर
- जिला न्यायालय स्तर पर
- तहसील स्तर पर

सम्पर्क करें

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
सी–2, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर (म.प्र.)
फोन : 0761–2678352, 2624131
फैक्स : 0761–2678537
E-mail : mplsajab@nic.in
Website : mpslsa.nic.in

उक्तियां

- मध्यस्थता समाज में शांति और स्थायित्व का आधार है।
- सिर्फ शांति की बारे में बात करना पर्याप्त नहीं है, उसमें यकीन भी करना होगा और सिर्फ यकीन करना पर्याप्त नहीं है उसमें काम भी करना होगा।

  – एलेनोर रूजवेल्ट
- हिंसा से शांति नहीं प्राप्त की जा सकती है, यह सिर्फ समझ के माध्यम से मिल सकती है।

  – राल्फ वाल्डो एमर्सन
- शांति हजार मील का सफर है और इसे एक बार में एक कदम बढ़ाकर तय किया जाना चाहिए।

  – लिंडन बी. जॉंसन

मध्यस्थता के लिए बढ़ाओ हाथ,
पाओ सुख-शांति का साथ।

- MPSLSA

मध्यस्थता क्यों

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
सी–2, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर (म.प्र.)

मध्यस्थता क्या है ?

- मध्यस्थता विवादों को निपटाने की सरल एवं निष्पक्ष प्रक्रिया है।
- विभिन्न पक्ष अपने विवाद को सभी दृष्टिकोण से मापते हैं।
- मध्यस्थता अधिकारी दबावरहित वातावरण में विभिन्न पक्षों के विवादों का निपटारा कराता है।

मध्यस्थता में क्या होता है?

- सभी पक्ष अपने हर मुद्दे को मध्यस्थ अधिकारी के समक्ष रख सकते हैं जिससे मध्यस्थ अधिकारी विवाद की जड़ तक पहुँच सकता है।
- सभी पक्ष अपनी इच्छा से सद्भावनापूर्ण वातावरण में विवाद का समाधान निकालते हैं।

मध्यस्थ कौन है?

- न्यायाधीश
- अधिवक्ता
- अन्य व्यक्ति जो निष्पक्ष मध्यस्थता के लिए पूर्णत: प्रशिक्षित है।

मध्यस्थ प्रणाली

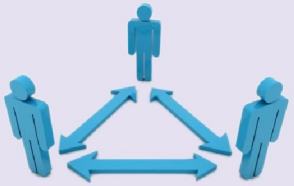

- मध्यस्थ सभी पक्षों को मध्यस्थता प्रक्रिया के नियमों एवं गोपनीयता के बारे में बताता है।
- विवाद के प्रति निपटारे के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होता है।
- बातचीत से उत्पन्न विभिन्न समीकरणों को पक्षों के समक्ष रखा जाता है।
- विवाद के निवारण उपरांत सभी पक्षों के समझौते की पुष्टि होती है।
- सभी पक्षों के हितों की पहचान होती है।
- समझौते की शर्तें स्पष्ट अंकित होती हैं।

मध्यस्थता के लाभ

- विवाद का अविलम्ब व शीघ्र समाधान।
- समय तथा खर्चों की किफायत।
- न्यायालय प्रक्रिया से राहत।
- अत्यधिक सरल व सुविधाजनक प्रक्रिया।
- विवाद का हमेशा के लिए प्रभावी एवं सर्वमान्य समाधान।
- समाधान पक्षों की सहमति को महत्व।
- अनौपचारिक, निजी तथा पूर्णत: गोपनीय प्रक्रिया।
- सामाजिक सद्भाव कायम रखने में सहायक।

- मध्यस्थ वाले मामले में कोई अपील या संशोधन नहीं होता, विवाद का अंतिम रूप से निपटारा हो जाता है।
- मध्यस्थता में विवाद निपटाने पर, वादी (Court Fees Act-1870) कोर्ट फीस एक्ट 1870 की धारा 16 के तहत पूरा न्यायालय शुल्क वापिस लेने का हकदार होता है।

विवादों से हानि

- समय की बर्बादी, अंतहीन विलम्ब
- मानसिक तथा शारीरिक शांति भंग
- धन की हानि
- आपसी घृणा और वैमनस्य
- तनाव की स्थिति
- झूठे अहम को बढ़ावा
- असंतोष